न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 105 / 2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
श्रीमती मुन्नी पुत्री स्व. नैनाराम पत्नी केशाराम जाति भांबी निवासी जोशियाद हाल निवासी बरणगांव तहसील व जिला नागौर।		1मोहनराम पुत्र स्व. जोगाराम जाति भांबी निवासी जोशियाद तहसील व जिला नागौर। 2श्रीमती ग्यारसी पूर्व पत्नी स्व. नैनाराम जाति भांबी निवासी जोशियाद तहसील व जिला नागौर (हाल पत्नी रामकरण जाति भांबी निवासी गोगेलाव तहसील व जिला नागौर) 3मांगी पुत्री जोगाराम पत्नी सोनाराम जाति भांबी निवासी कांटिया तहसील खींवसर जिला नागौर। 4बलदुडी पुत्री जोगाराम पत्नी बीजाराम जाति भांबी निवासी पिथोलाव तहसील मुण्डवा जिला नागौर। 5तहसीलदार (भू अभिलेख) नागौर। 6शाखा प्रबन्धक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री श्याम कुमार व्यास अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री रूघाराम जोगपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से।
3. श्री भीकमचंद शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 6 की ओर से।
4. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 5 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 28.10.2020

{1}–अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा ग्राम जोशियाद के नामान्तरकरण सं. 378 निर्णय दिनांक 08.07.2015 से असंतुष्ट होकर दिनांक 06.06.2016 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 22.06.2016 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से श्री रूघाराम जोगपाल अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट सं. 6 की ओर से श्री भीकमचंद शर्मा अधिवक्ता तथा रेस्पोडेन्ट सं. 5 की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन में नामान्तरकरण सं. 378 दिनांक 08.07.2015 की फोटोप्रति पेश की गई तथा रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से नामान्तरकरण सं. 106 की फोटोप्रति तथा ग्राम जोशियाद की जमाबंदी संवत 2048–51 व 2060–63 की फोटोप्रति पेश की।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्धान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि मामला हाजा मे विवादित कृषि भूमि हाल खसरा नं. 157 रकबा 60 बीघा 6 बिस्वा सरहद मौजा जोशियाद तहसील व जिला नागौर का उतराधिकार म्यूटेशन मृतक धुली पत्नी जोगाराम की मृत्यु दिनांक 21.12.14 को होने पर राजस्व रेकर्ड धुली के उत्तराधिकारी का नाम दर्ज कर भू अभिलेख निरीक्षक कुम्हारी से दिनांक 8.7.15 को तस्दीक करवाया गया एवं दिनांक 8.7.15 को तहसीलदार नागौर द्वारा म्यूटेशन स्वीकृत का आदेश पारित किया गया, जिसमे अपीलांट को कोई सूचना तहसीलदार नागौर द्वारा नही दी गई। दिनांक 1.6.16 को अपीलांट पटवारी जोशियाद के पास जमाबंदी की नकल लाने के लिये गई एवं केसीसी कार्ड बनाना चाहा तब म्यूटेशन सं. 378 की जानकारी होने पर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर नकल का आवेदन देकर यह नकल प्राप्त की एवं तुरंत ही यह अपील न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत की। जो जानकारी से अंदर मियाद होने से दर्ज किया जाकर मेरिट पर सुनवाई किया जाना न्यायोचित है। देरीना को माफ किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र के समर्थन मे शपथ पत्र तस्दीकसुदा प्रस्तुत किया गया है। जो माकूल आधार

अपर कलक्टर, नागौर

पर प्रतीत होता है। अतः अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। अंतिम बहस शुरू करते हुए वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय ने न्याय के सामान्य सिद्वान्तो की अवहेलना कर एवं विधिवत नोटिस जारी किये बिना अपीलांट को समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना ही म्यूटेशन सं. 378 ग्राम जोशियाद का दिनांक 8.7.15 का रेस्पोडेन्ट द्वारा स्वीकृत किया, जो विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है।

{2}(II)–रेस्पोडेन्ट ने म्यूटेशन सं. 378 दिनांक 8.7.15 को स्वीकृत करने से पूर्व मृतक धूली के वारिसान को विधिवत सूचना नही दी गई एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 के अन्तर्गत उतराधिकार म्यूटेशन मे संबंधित पक्षकार को सूचना तक नही दी, जिससे नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत कृत्य पर नामान्तरकरण सं. 378 ग्राम जोशियाद का स्वीकृत विधि विरूद्व दर्ज करने से निरस्तनीय है।

{2}(III)–ग्राम जोशियाद के हाल खसरा नं. 157 रकबा 120 बीघा 11 बिस्वा का नैनाराम फौत होने से म्यूटेशन सं. 106 दिनांक 7.8.95 का स्वीकृत किया गया, जिसमे भी नैनाराम मृतक की पत्नी नाता चली जाने से सह खातेदार, उतराधिकार मे नाम दर्ज नही कर केवल मुन्नी पुत्री नैनाराम का ही नाम दर्ज किया गया, जो आज दिन तक प्रभावी होने से पुनः ग्यारसी पत्नी नैनाराम को स्थापित कर सह खातेदार दर्ज करने मे भी विधिक भूल की है। ग्यारसी नैनाराम की मृत्यु के 15 दिवस बाद ही नाता चली जाने से अपीलांट के परिवार से रिश्ता तोड लिया, जिससे ग्यारसी को धूली पत्नी जोगाराम का म्यूटेशन नं. 378 दिनांक 8.7.15 मे विधिक उतराधिकारी मानने मे भारी भूल की है, इसलिये भी म्यूटेशन सं. 378 दिनांक 8.7.15 को अपास्त किया जाकर नैनाराम का एकमात्र वारिस अपीलांट को दर्ज किया जाना विधि संगत है।

{2}(IV)–रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 शादीसुदा होने से अपने ससुराल निवास कर रही है तथा खेत हाल खसरा नं. 157 के किसी भी भू भाग पर कब्जा काश्त एवं खातेदारी अधिकार नही रहे है व थे, फिर भी उतराधिकार मे गलत नाम दर्ज कर दिया। साथ ही उक्त भूमि को रहन रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा अपना गलत हिस्सा 3/4 दर्शाकर रहन रेस्पोडेन्ट सं. 6 के कर दिया, जिससे रेस्पोडेन्ट सं. 6 को पक्षकार बनाया जाकर भी यह अपील पेश की। इस प्रकार रेकर्ड मे रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 तथा 6 का इन्द्राज अनुसार पक्षकार बनाया गया है। जो केवल प्रफोर्मा पक्षकार है।

{3}–रेस्पोडेन्ट सं. 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस शुरू करते हुए बताया कि उनका आराजी भूमि मे 3/4 हिस्सा है। जबकि अपीलांट द्वारा 1/2 हिस्सा हेतु अनुतोष चाहा गया है। जो विधिअनुसार नही बनता है। जिस पर वकील अपीलांट ने बहस मे हिस्सा लेते हुए बताया कि नामान्तरकरण कार्यवाही मे किसी भी पक्षकार के स्वत्व का निर्धारण नही होता है तथा उनके द्वारा अपील मे हिस्से के संबंध मे चाहे गये अनुतोष को अब Press नही कर रहे है।

{4}–राजकीय अधिवक्ता एवं रेस्पोडेन्ट सं. 6 के अधिवक्ता द्वारा बहस शुरू करते हुए तर्क दिया गया कि उनका हित प्रभावित नही होने से उन्हे कोई आपत्ति नही है।

{5}–उभय पक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में मौजा जोशियाद के नामान्तरकरण सं. 378 दिनांक 08.07.2015 की स्वीकृति से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। प्रकरण मे खातेदार धूली पत्नी जोगाराम की मृत्यु होने पर वारिसान के रूप मे अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 के पक्ष मे नामान्तरकरण जैर अपील पारित किया गया है। उक्त नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया गया हो, ऐसा प्रतीत नही होता है तथा रेस्पोडेन्ट सं. 2 ग्यारसी वारिसान मे है अथवा नही की, विस्तृत जांच करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। ऐसी स्थिति मे आदेश जैर अपील हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{6}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार कर आदेश जैर अपील निरस्त कर मामला अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त ऑब्जरवेशन को ध्यान मे रखते हुए मृतक के विधिक उत्तराधिकारियों की जांच कर शहादत, सुनवाई व सबूत का अवसर देते हुए गुणावगुण पर ताजा आदेश पारित करे।

{7}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर